अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

सत्यनारायण वगैरह पुत्र श्री भगवान प्रसाद शर्मा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अजमेर

किस्म मुकदमा 75 LR Act नम्बर 41 सन 2022 ( )

	2022/41 महेन्द्र सिंह चौहान राजकीय अभिभाषक	
25.01.22	सत्यनारायण वनाम राज.सरकार यह अपील श्री महेन्द्र सिंह चौहान एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के क्रमाकःउखअ/राजस्व/2021/483 दिनांक 05.01.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजरथान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के साथ रथगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र रथगन एवं अपील मीमो की प्रति रेस्पोडेन्ट संख्या 01 राजकीय अभिभाषक को दी गयी। राजकीय अभिभाषक ने बताया कि यह अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जावें। हमने अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया। अपील राजस्व (ग्रुप–06) विभाग, राजरथान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प.3 (17) राज.–6/2021/91 दिनांक 30.09.2021 व जिला कलक्टर, अजमेर के पत्रांक राजस्व/2021/11088–92 दिनांक 02.09.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को सार्वजनिक रास्तो का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत् आदेश दिये थे के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने उक्त परिपत्र के संदर्भ में अपने पत्र क्रमांकः क्रमाकःउखअ/राजस्व/2021/483 दिनांक 05.01.2022 के सन्दर्भ में सार्वजनिक रास्तो का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत् तहसीलदार, अजमेर को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट भिजवाने के आदेश दिये थे । उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के उक्त पालना रिपोर्ट के बाबत् तहसीलदार, अजमेर को अपने क्रमांकः क्रमाकःउखअ/राजस्व/2021/483 दिनांक 05.01.2022 के आदेश दिये थे कि अपील न्यायालय में प्रस्तुत की है। जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं होने से समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर नम्बर से कम की जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **राजस्व अपील प्राधिकारी** **अजमेर**	